न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टीए./2004/5211/नागौर

जीवणराम पुत्र श्री जगमालसिंह, जाति जाट निवासी ग्राम आकेली (ए) तहसील मेड़ता जिला नागौर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– किशोरराम) पुत्रान पांचाराम, जाति जाट निवासी ग्राम
2– दयालराम) आकेली (ए) तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता जिला नागौर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री मुकेश जैन) अभिभाषक अप्रार्थी
श्री सी.पी. पाराशर)

दिनांक : 23 मार्च, 2021

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 2–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम आकेली ''ए'' तहसील मेड़ता में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–786 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के भाई तुलछाराम को एवं 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता जगमालराम को सक्षम राजस्व अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15–4–1970 के द्वारा कीमतन आबंटित की जिसकी अनुपालना में प्रीमियम राशि राजकीय कोष में जमा करवा दी गई। इसके बाद आबंटी जगमालराम का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके वारिसान प्रार्थी तुलछाराम एवं उसके भाईयों रामदेव आदि के पक्ष में खातेदारी का विरासतन नामान्करण संख्या–994 दिनांक

4–12–2003 को तस्दीक किया गया। प्रार्थी जीवणराम ने विद्वान जिला कलेक्टर, नागौर के न्यायालय में धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपील पेश की जिसको उन्होने गैर कानूनी व्याख्या करके चलने योग्य नहीं होन से अपने निर्णय दिनांक 1–4–2003 के द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में पेश की, जिसको उन्होंने मियाद बाहर पेश होना मानकर अपने निर्णय दिनांक 2–8–2004 के द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तीनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004, 1–4–2003 एवं 5–9–2002 कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के एकदम विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य हैं। उनका यह भी कथन है कि विद्वान तहसीलदार, मेड़ता ने गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन आदेश दिनांक 5–9–2002 को पारित किया जो कि प्रभाव शून्य आदेश है जिस पर कानूनन मियाद का बिन्दू लागू ही नहीं होता है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू के आधार पर ही दोनों अदालतों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 2–8–2004 एवं 1–4–2003 निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी संधारण योग्य है इस कारण प्रार्थी ने उक्त निर्णय को निरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों न्यायालयों के निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं

5– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि निगराकार ने सार्वजनिक रास्ता पर अतिक्रमण कर उसे अवरूद्ध कर दिया था जिसे तहसीलदार व पुलिस ने दिनांक 5–9–2002 को मौके पर जाकर खुलवा दिया था। उक्त आदेश के विरूद्ध निगराकार ने जिला कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जो खारिज हो गई। उक्त निर्णय के दौरान निगराकार के अभिभाषक भी न्यायालय में उपस्थित थे। इसके बावजूद द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर में बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की थी और इसी आधार पर वह खारिज हो गयी थी। इस निगरानी में कोई सारभूत तथ्य नहीं होने के कारण यह निगरानी निरस्तनीय है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि न्यायालय जिला कलेक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 1–4–2003 के दिन निगराकार के अभिभाषक उपस्थित थे जो कि न्यायालय के आदेश पंजिका में अंकित है। इसके बावजूद द्वितीय अपील दिनांक 18–11–2003 को अर्थात साढ़े सात माह पश्चात प्रस्तुत की गई थी। विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं दर्शाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में अनेक न्यायिक दृष्टान्तों में यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब के एक एक दिन का हिसाब देना होगा। निगराकार ने इतने अधिक विलम्ब के लिये कोई भी संतोषप्रद कारण नहीं बताया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 2–8–2004 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत होने के कारण पोषणीय है। इस निगरानी में निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हुई त्रुटियों के बारे में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। उनका केवल एक कथन है कि दिनांक 5–9–2002 को निगराकार को बिना सुने ही एकतरफा आदेश प्रदान कर दिया। इस संबंध में हमारा मत है कि निगराकार को न्यायालय जिला कलेक्टर, नागौर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर में सुनवाई का मौका मिल गया था इसलिये अब इस स्तर पर यह प्रश्न गौण हो जाता है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। निगराकार ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 2–8–2004 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें यह बताना चाहिये था कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय में क्या त्रुटियां थी लेकिन इस निगरानी में ऐसा कोई सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

8– अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार निगरानी में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण यह निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये व पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य